2017

(नियम 13)

{General (Civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं-राज.)

गुरुदयाल आदि **बनाम** विपक्षी मंगली आदि

किस्म मुकदमा दावा-विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा नम्बर 363/2016 सन्

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
14/12/2016	दावा वादीगण जरिये वकील पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण वकील द्वारा हलफी तलबाना सम्मन व रजिस्ट्री पेश होने पर प्रतिवादीगण को सम्मन दिनांक 17-1-2017 के लिए जारी हो। वादीगण वकील द्वारा सम्मन रजिस्ट्री की रसीद पेश करने हेतु दिनांक 19-12-2016 का पेश है।	
19/12/2016	पत्रावली पेश हुई। वादीगण ने सम्मन व रजिस्ट्री पेश नहीं की। अतः पत्रावली वास्ते हलफी सम्मन हेतु दिनांक 17-1-2017 को पेश है।	
17/1/17	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे.....पर हैं। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 7.3.17 को पेश हो।	
7.3.17	पत्रावली पेश। उभय वकील वादीगण उपस्थित। पत्रावली वास्ते हलफी दिनांक 3.5.17 को पेश हो।	
3/5/17	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे.....पर हैं। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 5/7/17 को पेश हो।	
18/6/17	पत्रावली आज पेश। उभय वकील वादीगण उपस्थित। वादीगण ने स्वयं उपस्थित होकर लिखित में कहा है कि पक्षकारों आपसी समझौता चाहते हैं अतः Not press रखी जावे। वादी के अतः वकील वादीगण के लिखित पर पत्रावली Not Press से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के बाद दाखिल दफ्तर हो।	Not Press झुन्झुनूं

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner